फर्द अहकाम

# न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| गणेशाराम पुत्र मोती जी जाति पुरोहित निवासी सायला तहसील सायला जिला जालोर | | उपखंड अधिकारी सायला जिला जालोर |

विविध प्रार्थना पत्र 03 /2019

कम्प्यूटर आई डी संख्या 2019/

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम.**

| | |
|---|---|
| 29.03.2019 | प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि सहायक कलक्टर सायला के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद गणेशा बनाम वागा वगैरा एवं प्रार्थना पत्र को सुनवाई हेतु अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करावे।उक्त प्रार्थना पत्र पर सहायक कलक्टर सायला द्वारा पत्रांक/कोर्ट/2019/228 दिनांक 19.03.2019 के जरिए जबाब प्रतिवेदन पेश किया है।अत:प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज रजिस्टर हो।प्रार्थी को जरिए नोटिस वास्ते सुनवाई/बहस हेतु तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 1.5.19.. को पेश हो।<br><br>जिला कलेक्टर<br>जालोर |
| 01.05.2019 | प्रार्थी की ओर से वकील श्री जोराराम चौधरी उपस्थित। मूल वाद में प्रतिवादी एवं इस प्रकरण में अप्रार्थी श्री सुरेश की ओर से वकील श्री नरपतसिंह देवडा उपस्थित। इस स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 09.04.2019 को शीघ्र सुनवाई करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, परन्तु चुनाव कार्य की व्यस्तता के कारण सुनवाई में नही रखा गया। अत: प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस आज सुनी गई।<br><br>प्रार्थी की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में यह लिखा गया है कि प्रार्थी ने वागाराम, मोहनी देवी, दिव्या, भंवरलाल, नरेश, सुरेश तमाम जातियान सुथार निवासीगण सायला के विरूद्ध दो पृथक-2 वाद अदालत सहायक कलेक्टर सायला में प्रस्तुत किये है। उक्त वाद में संयोजित पक्षकार एवं वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, सायला एक ही जाति के होने से पीठासीन अधिकारी द्वारा कमश: प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थीगण का पक्ष लेकर उक्त पत्रावली में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र को गलत रूप से व्याख्या कर निर्णित करने की संभावना है। ऐसी स्थिति में अपने द्वारा प्रस्तुत वादों में सहायक कलेक्टर सायला से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्थानान्तरित कर अन्य न्यायालय में सुनवायी करवायी जावे ताकि न्याय मिल सके।<br><br>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट के तहत दर्ज कर अप्रार्थीगण को सुनवायी हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी सहायक कलेक्टर सायला द्वारा पत्र कमांक कोर्ट/2019/228 दिनांक 19.03. 2019 के जरिये जवाब पेश करने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी श्री सुरेश पुत्र कन्हैयालाल की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.04.2019 को प्रस्तुत जवाब एवं बहस के दौरान यह कथन किया गया है कि सिर्फ यह आधार कि मूल वाद में प्रतिवादीगण व सहायक कलेक्टर की जाति एक ही है, अत: प्रार्थी को न्यायालय |

सहायक कलेक्टर सायला (पीठासीन अधिकारी) से उक्त प्रकरण में न्याय की उम्मीद नहीं है। यह आधार अत्यन्त ही कमजोर एवं चलने योग्य नही है।

जबकि प्रार्थी (मूल वाद के वादी) ने अपने प्रार्थना पत्र व बहस में यह बताया है कि पीठासीन अधिकारी तथा प्रतिवादी की जाति एक ही होने से न्याय की उम्मीद नहीं है। यह भी बताया है कि आम चर्चा है कि न्याय नहीं होगा।

सहायक कलेक्टर से भी जवाब प्राप्त किया गया। जिसमें राजस्व वाद संख्या 37/18 गणेशाराम बनाम मोहन देवी वगैराह राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/18 गणेशाराम बनाम मोहन देवी वगैराह राजस्व वाद संख्या 21/17 गणेशाराम बनाम वागाराम वगैराह राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/17 का विस्तृत विवरण विवेचित करते हुये बताया है कि न्यायालय द्वारा प्रत्येक प्रकरण में न्यायप्रकिया पूर्ण करने के पश्चात् ही जो भी विधि सम्मत होगा उसके अनुसार ही न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र मनगढंत बिन्दुओं पर आधारित है उक्त चारों प्रकरण वर्तमान में अंतिम बहस अथवा निर्णय स्तर पर विचाराधीन नही है। न्यायालय/पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थी द्वारा बिना किसी आधार के आरोप लगाये गये है जो स्वीकार किये जाने योग्य नही है। फिर भी प्रार्थी को उपखण्ड न्यायालय सायला की कार्यप्रणाली पर विश्वास नहीं रहता है तो उक्त प्रकरणों को अन्य न्यायालय में नियमानुसार स्थानान्तरित करने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्रों तथा बहस उपरान्त मेरा अभिमत इस प्रकार है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में मात्र एक ही आधार वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी (मूल वाद में प्रतिवादी) तथा सहायक कलेक्टर सायला की जाति एक ही है, वाद के स्थानान्तरण हेतु अन्य कोई भी विधिमान्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है। यदि इस प्रकार के आधारहीन प्रार्थना पत्रों के कारण वाद स्थानान्तरित किये जाने लगे तो न्यायिक प्रक्रिया का संचालन अत्यन्त कठिन होगा एवं ऐसे कमजोर आधारो पर स्थानान्तरण प्रार्थना पत्रों को दायर करने की प्रवृति बढेगी, जो अन्तोतगत्वा न्यायिक प्रक्रिया के संचालन को दुष्कर बनायेगी। अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त वादी के प्रकरण में प्रतिवादी की निगरानी में माननीय राजस्व मंडल द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण का 40 दिन में निर्णय करने के निर्देश उपरान्त प्रकिया को विलम्बित करने हेतु ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थानान्तरण करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.09 16:40:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: